कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-19.12.2024

फर्जी ट्राई अधिकारी/सी.बी.आई. अधिकारी बनकर डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर साइबर ठगी करने वाले अन्तराष्ट्रीय गैंग के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार उनके कब्जे से मोबाइल, एटीएम कार्ड, टैबलेट व 11,500/- रुपया बरामद।

दिनाक 04.12.2024 को वादी श्री अनुज कुमार यादव पुत्र स्व0 इन्द्रदेव यादव निवासी माधव नगर कालोनी, सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि साइबर अपराधियों द्वारा उनके साथ **फर्जी ट्राई अधिकारी/सी.बी.आई. अधिकारी बनकर उनकी डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर** उनके साथ कुल करीब 98 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गयी है। जिसपर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 308(2), 318(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी.एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना विजय नारायण मिश्र द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्री मोहित अग्रवाल पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी एवं श्री प्रमोद कुमार पुलिस उपायुक्त अपराध कमि0 वाराणसी के निर्देशन मे तथा सुश्री श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त कमि0 वाराणसी व श्री गौरव कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम मे वाराणसी से घटना में सलिप्त डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर साइबर ठगी करने वाले अन्तराष्ट्रीय गैंग के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, टैबलेट व **11,500/-** रुपया नगद बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम फर्जी ट्राई अधिकारी/सी.बी.आई. अधिकारी बनकर लोगों को उनक मोबाइन नं0 पर वर्चुवल नं0 से काल कर उनके नाम पर फर्जी सिम के जारी होने तथा उस सिम का अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का झांसा देते हुए उनकी डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर वेरीफिकेशन के नाम पर तथाकथित आर.बी.आई. के बैंक खातो में पैसा ट्रान्सफर कर लिया जाता है। उन पैसो को साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी गेमिंग एप्लीकेशन में यूजर्स को पेआउट के नाम पर ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इस तकनीकि में साइबर अपराधियों द्वारा ई.सी.एस. व ई.आई.पी. सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए ओटीपी प्राप्त करने के लिए एसएमएस फार्डरवर एप्लीकेशन जैसे ड्रैगन एसएमएस आदि का प्रयोग किया जाता है। तथा अपनी पहचान छिपाने के उदेश्य से इस तरह की घटना में फर्जी म्यूल बैंक खातो, फर्जी सिम कार्ड व डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए वर्चुवल मशीन का प्रयोग किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दिनेश कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम पूरेलला थाना नेवढिया जनपद जौनपुर उ0प्र0 उम्र करीब 32 वर्ष।
2- राजेश चैधरी पुत्र स्व0 केदार चैधरी निवासी गढा सैनी थाना बक्सा जनपद जौनपुर उ0प्र0 उम्र करीब 44 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 0124/2024 धारा- 308(2), 318(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता व 66डी0 आई.टी.एक्ट,थाना साइबर क्राइम पुलिस, कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

Android Mobile- 04 अदद ।

ATM-	01 अदद।
QR CODE-	02 अदद।
Cheque Book-	02 अदद।
Cancelled Cheque-	12 अदद।
नकद धनराशि-	11,500/- रूपया

गिरफ्तारी/ सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट वाराणसी	
• निरीक्षक विजय नारायण मिश्र • निरीक्षक विपिन कुमार • निरीक्षक विजय कुमार यादव • निरीक्षक दीनानाथ यादव • उ0नि0 संजीव कन्नौजिया • उ0नि0 सतीश सिंह • उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार • उ0नि0 आलोक रंजन सिंह • हे.का./क.आ. श्याम लाल गुप्ता • हे.का. गोपाल चौहान • का0 चन्द्रशेखर यादव	• का. दिलीप कुमार • का0 अंकित प्रजापति • का0 सूर्यभान सिंह • का0 पृथ्वी राज सिंह • का0 अनिल कुमार मौर्य • म0का0 पुनीता यादव • का0 ड्रा0 विजय कुमार

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।